

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग विभाग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक: 16 अप्रैल, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में "लेखन सामग्री तथा मुद्रण" के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत "राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान" की बचनबद्ध मदों में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 292/9(150)-2019/XXVII(1)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं०-23 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत "खनन प्रशासन का अधिष्ठान" के संलग्न विवरणानुसार बचनबद्ध मदों में प्राविधानित कुल धनराशि कुल रू० 9,00,69000/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् कुल रू० 4,50,31000/- (चार करोड़ पचास लाख इकत्तीस हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न अलोटमेंट आई०डी० S20040230007 दिनांक 16-04-2020 के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 292/9(150)-2019/XXVII(1)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में इंगित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा।
- (2) बचनबद्ध मदों में आहरण एवं व्यय किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सुजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी मद के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
- (3) मानक मद-22 कार्यालय व्यय में प्राविधानित धनराशि से Covid-19 के बचाव हेतु आवश्यक धनराशि का उपयोग कर सकते हैं।
- (4) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- (6) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों के लिए स्वीकृत की जा रही हैं। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि नियमित व्यय करने के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि का मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(7) प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना सम्बद्ध शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त अनुभाग-1 एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2- प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-23 के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक-2068-लेखन सामग्री तथा मुद्रण-001 निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्षक-03 राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान के मानक मदों में उल्लिखित सुरंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-292/9(150)-2019/XXVII(1)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 में प्रदत्त स्वीकृति एवं इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 250 (1)/VII-A-2/ 2020/03(बजट)/2016 टी0सी0 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक/अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. कोषाधिकारी, रूड़की।
6. वित्त अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या: 2370 /VII-A-2/ 2020/03(बजट)/2016 टी0सी0 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 का
संलग्नक

क्र० सं०	लेखापीरक/योजना/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2020 में कुल प्राविधानित धनराशि	धनराशि हजार रू० में वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1.	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान		
	01-वेतन	64000	32000
	02-मजदूरी	1500	750
	03-मंहगाई भत्ता	14472	7236
	06-अन्य भत्ते	6947	3470
	22- कार्यालय व्यय	1500	750
	23-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	150	75
	25- उपयोगिता बिलों का भुगतान	1500	750
	कुल योग:-	90069	45081

कुल धनराशि रू० रू० 4,50,31000 / - (चार करोड़ पचास लाख इकत्तीस हजार मात्र)


(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

